न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 156/2013

सायल :- बनाम गै0सा0 :-

1. बृजगोपाल दत्तक पुत्र कुन्दनमल
   जाति-ब्राह्मण, निवासी-घोड़ावड़
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. अयोध्यादेवी वेवा नथमल
2. सकूबाई पुत्री कुन्दनमल
3. गोविन्दलाल पुत्र फाउलाल
4. मांगीलाल पुत्र हजारी फौत के
   कायम मुकामानः-

4/1-वंकटलाल पुत्र मांगीलाल
4/2-पूसाराम पुत्र मांगीलाल
जातियान-ब्राह्मण,निवासीगण-घोड़ावड़

5- तहसीलदार एवं उप पंजीयन
   अधिकारी, जैतारण (पाली)
6- पटवारी, पटवार हल्का-घोड़ावड़
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.10.05.2013

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 23/06/2015

वकील मय सायला ने एक प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल व गैरसायल एक ही पूर्वज कवरूराम जी के वंशज है। कवरुराम जी की वंश वृक्षावली मूल पुरुष कवरुराम के पुत्रगण प्रभुराम व किशनाराम हुए तथा प्रभुराम का पुत्र फाउलाल हुआ एवं फाउलाल का पुत्र गोविन्दराम हुआ तथा किशनाराम के वारिसान बद्रीनारायण, मदनलाल, कुन्दनमल व झूमरलाल हुए। मदनलाल के वारिसान चन्द्रीवाई (फौत) व नथमल हुआ तथा कुन्दनमल के वारिसान सकूबाई गोदावरी (फौत) व बृजगोपाल हुए तथा नथमल के वारिस अध्योध्यादेवी (फौत) हैं। इस उपर वर्णित वंशावली के माकि किशनाराम के चार जायन्दा पुत्र थे, जो कमशः बद्रीनारायण, कुन्दनमल, झूमरलाल, मदनलाल थे। इन चारों ही भाईयों के कोई जायन्दा पुत्र नही हुआ था। तव परिवार में सबसे बड़े व कर्ताधर्ता बद्रीनारायण थे। तब बद्रीनारायण ने अपने पिता किशनाराम के परिवार का वंश वृक्ष आगे बढाने की मंशा से अपने भाई कुन्दनमल के एक पुत्री ही होने की वजह से अपने परिवार में एक मात्र पुत्री सकूदेवी के भाई बनाने के लिये एंव चारों ही भाईयों का वंश वृक्ष आगे चले व घर खुला रहे तथा सकूदेवी का भी अपने पीहर में आवागमन बना रहे इसी मंशा से अपने छोटे भाई कुन्दनमल व गोदावरी देवी को प्रोत्साहित करते हुये

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कहा कि वह अपने रिश्ते में भाई फाउलाल के पोत्र एंव सायल बृजगोपाल को गोद लेने की मंशा से बृजगोपाल के जनमत पिता गोविन्दराम एवं उनकी पत्नी से निवेदन किया था। तब सभी समाज व गांव वालों के सामने सायल के जन्मत पिता गोविन्दराम व माता धापूदेवी ने सायल को किशनाराम के वंशज कुन्दनमल व उनकी पत्नी गोदावरीबाई के गोद दिया था। गोदनामा की रश्म गांव-घोड़ावड़ में सम्पन्न की गई थी तथा दत्तक अनुष्ठान भी किया गया था। तत्पश्चात कुन्दनमल, झूमरलाल व मदनलाल का स्वर्गवास हो गया था। तब भविष्य में बृजगोपाल जो कि कुन्दनमल व गोदावरीदेवी के गोद गया था, को लेकर कोई वाद विवाद नही हो इसी मंशा से परिवार के मुखिया व बड़े भाई बद्रीनारायण ने ग्रामवासियों व समाज के रूबरू एक गोदनामा भी लिखत में तैयार किया था, जो गोदनामा 120/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखत गोदनामा दिनांक 25/11/1997 का इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश किया हैं। तब से ही सायल कुन्दनमल के पुत्र के रूप में जाना व पहचाना जा रहा है। इसके समर्थन में सायल की शादी की पत्रिका, परिचयपत्र, राशनकार्ड आदि सभी प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। बद्रीनारायण, कुन्दनमल व झूमरलाल के कोई जायन्दा पुत्र नही होने की वजह से एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी सायल ही है। तथा सायल बृजगोपाल ने ही बद्रीनारायण चन्द्रीबाई गोदावरीदेवी मदनलाल, कुन्दनमल व झूमरलाल का स्वर्गवास होने पर पिण्डदान किया था व उनके पुत्र के रूप में समस्त रश्मों का निर्वहन करते हुए बारवां व गंगाजल भी किया था। जाति समाज में भी इन सभी के उत्तराधिकारीयों के रूप में सायल को ही जाना व पहचाना जा रहा है। राजस्व मौजा-घोड़ावड़, तहसील-जैतारण में सायल एंव गैरसायलान की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 174/1, 175, 176, 177, 178, 179, 200, 238, 280, 301, 413, 443, 444 कुल किता-20 कुल रकबा 153-09 बीघा किस्म चा0चा0, गै0मु0 व बा0अ0 की आई हुई हैं। इस उपर वर्णित आराजी के पक्षकारान रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल चालू जमाबंदी इस भूमि की प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। इस भूमि मेंसायल का 1/06 वां हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार हैं एवं मौके पर भी इसी हिस्से के अनुसार सायल का कब्जा काश्त है। इसी प्रकार गैरसायलन भी माफिक अपने हक हिस्से अनुसार इस आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि में बद्रीलाल, कुन्दनलाल, झूमरलाल पिसरान किशनलाल व नथमल पुत्र मदनलाल 1/6 वे हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार थें। उक्त सभी व्यक्तियों का स्वर्गवास हो चूका हैं तथा नथमल की पत्नी अयोध्यादेवी तथा कुन्दनमल की पुत्री सकूदेवी पिछले लगभग 40 वर्षो से हैदराबाद में ही रह रहे है। इस अवधि के दौरान यह ग्राम-घोड़ावड़ में न तो कभी भी आये न ही रहे थे, 1/6 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर अकेले सायल का ही समझ समझाईश से कब्जा काश्त चला आ रहा है। सायल कुन्दनमल का दत्तक पुत्र हैं, जिसे दत्तक माता गोदावरीदेवी ने विधि विधान अनुसार गोद लिया हैं तथा सायल का कुन्दनमल का दत्तक पुत्र होने से बद्रीलाल व झूमरलाल जी के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि तथा कुन्दनमल व नथमल के हक हिस्से की भूमि एडवर्स पजेशन के सिद्धान्तानुसार सायल अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के माफिक भी इस विवादित भूमि पर एक मात्र सायल का हक अधिकार बनता है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

फिर भी तत्कालीन हल्का पटवारीने दिनांक 04/12/2010 को विधिक प्रावधानों से परे जाकर किशनलाल के चारों पुत्रों के विधिक उत्तराधिकारीयों की जांच किये बिना ही बिना विधिक प्रकिया अपनाये बाले-बाले नामानतरण संख्या 910 की कार्यवाही कर उक्त जमीन अकेले अयोध्या देवी व सकूदेवी के नाम दर्ज कर दी, जो कतई गलत है। नामान्तरण संख्या 910 मौजा घोड़ावड़ भी सायल के हक व अधिकारों के विरूद्ध होने से शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज हैं, जिसे सायल रद्द घोषित करवाने का अधिकारी हैं व माफिक अपने हक अधिकारों के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बावत घोषणा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया है। विवादित भूमि सायल व गैरसायलन की संयुक्त व शामलाति है। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। उक्त विवादित भूमि की वर्तमान में किमते बढ गई है। इसी वजह से गैरसायलान बंकटलाल की नियत अब खराब हो गई है। भूमि संयुक्त व शामलाति होने से गेरसायलान बंकटलाल माठ व बंटवाड़ा को लेकर के व रास्ते को लेकर के वादविवाद करता हैं तथा इस आराजी के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी केता को जरिये बेचान के हस्तान्तरण करने को अमादा है। जबकि अभी तक इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाउा करने के लिये कई बार निवेदन किया। सायल अपने हक हिस्से की भूमि पर आधूनिक तरीके से काश्त करना चाहते है। इसलिये सायल को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से शाख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाडा आवश्यक है। लेकिन गैरसायलान बंकटलाल द्वारा नहीं मानने व मौके पर बिना बंटवाड़ा करवाये ही किसी अजनबी केता को उक्त भूमि को जरिये रहन बेचान के हस्तान्तरण कर देना चाह रहा है। तब सायल द्वारा बंटवाड़ा किये जाने से पहले बेचान नही करने का कहने पर एंव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने का कहने पर दिनांक 20/04/2013 को ऐसा बंटवाड़ा कराने से गैरसायल बंकटलाल ने स्पष्ट रुप से इन्कार कर दिया। तब इस अवस्था में सायल के पास यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाउा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया है। विवादित भूमि सायल व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाति है। जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नही हुआ है। गैरसायलन बंकटलाल व अयोध्यादेवी व सकूबाई झगड़ालू प्रवृती के है, जो हैदाराबाद रहते है एवं मौके पर उसका कब्जा व काश्त व हक अधिकार नही हैं, न ही उसे मालूम है कि उसके हक हिस्से की भूमि कहां पर स्थित हैं। फिर भी बिना बंटवाडा कराये व मौके पर बिना जमीन का कब्जा लिये ही केवल राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के आधार पर हि इस भूमि के बहुमूल्य व उपयोगी स्थल का कब्जा भी अजनबी केता को बेचान कर इस भुमि के बहुमूल्य व उपयोगी स्थल का कब्जा भी अजनबी केता को सौंप देना चाह रहा हैं। इसी नियत से आये दिन वाद विवाद कर रही हैं। सायल कानून को मानने वाले शांत प्रवृति का व्यक्ति है, जिनके कब्जे काश्त में गैरसायल बकंटलाल जबरदसती बाधा व अड़चन पैदा कर रहा हैं तथा सायल को उनके आराजी में प्रवेश करने से भी रास्ते में व्यवधान डालकर रास्ते रोक रहा है। गैरसायान को सायल व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर भी नही मान रहा है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती लाठी लकडियों के बल पर सायल को बेदखल कर अपना स्वयं का कब्जा कर उक्त आराजी को बेचान कर दिया तो सायल अपने खातेदारी भूमि का उपयोग व उपभोग

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

करने से हमेशा के लिए वंचित रह जायेंगे तथा सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। सायल गैरसायलान के ऐसे अवैध कृत्यों विरोध करेंगे, जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात एंव मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती सायल के हक हिस्से की भूमि से सायल को बेदखल कर दिया या सायल की उक्त भूमि को किसी अजनबी केता को बेचान कर दिया, तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिये सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1 से 6 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-घोड़ावड़ में पेश हुई। गै0सा0 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10/06/2013 को जारी की गई हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने से गै0सा0 को पाबन्द किया गया था।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-घोड़ावड़, तहसील-जैतारण में सायल एंव गैरसायलान की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 174/1, 175, 176, 177, 178, 179, 200, 238, 280, 301, 413, 443, 444 कुल किता-20 कुल रकबा 153-09 बीघा किस्म चा0चा0, गै0मु0 व बा0अ0 की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 10/06/2013 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-घोड़ावड़ पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner